न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(नीलाभ सक्सेना, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

राजस्व अपील: 04/2019

दायर दिनांक: 03.06.2019

निर्णय दिनांक 16.09.2022

—:अनवान:—

1. हेमन्त कुमार पिता रंगलाल जैन निवासी मझेरा तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द
2. श्रीमती कंचन बाई पत्नि रंगलाल जैन निवासी मझेरा तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द

—— अपीलार्थी

—:बनाम:—

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुम्भलगढ़, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द

—— रेस्पोडेण्टगण

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार कुम्भलगढ प्रकरण संख्या 1229/2018 नाजायज कब्जा सरकार बनाम कंचन बाई व अन्य, निर्णय दिनांक 15.01.2019 से व्यथित होकर .

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलांटगण

2— श्री अनील बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट

—::निर्णय::—

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का बडगावं ने राजस्व ग्राम खेडलिया पटवार हल्का बडगावं तहसील कुम्भलगढ़ की वर्तमान आ0नं0 2675 रकबा 13 बीघा पर अपीलांट का अतिक्रमण बताते हुए धारा 91 की कार्यवाही हेतु तहसीलदार, कुम्भलगढ के यहॉ रिपोर्ट को प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक : 15.01.2019 को अपीलांट की बैदखली के आदेश उसकी अनुपस्थिति में पारित किया गया। इसी आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह प्रथम अपील इस न्यायालय में दिनांक: 28.05.2019 को पेश की गयी।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेंट को जरिये सम्मन सूचना दी गई एवं अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

अधिवक्ता अपीलांट के द्वारा बहस में यह बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय, प्रकरण में अपीलांट कि ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो के विपरित जाकर उसकी अनुपस्थिति में आदेश पारित किया तथा अपीलाण्ट को प्रकरण में न तो साक्ष्य सबूत पेश करने का पर्याप्त एवं उचित अवसर दिया गया तथा न ही बहस करने हेतु अवसर दिया

गया, इंसलिए आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त योग्य हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाना फरमावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कुम्भलगढ़ द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गयी। बहस पर गहन मनन किया गया। तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम खेडलिया पटवार हल्का बडगावं तहसील कुम्भलगढ़ की वर्तमान आ0नं0 2675 किस्म बिलानाम भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा नाजायज कब्जा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। जिसमें अपीलार्थी ने नोटिस की पालना में उपस्थित होकर उक्त बिलानाम भूमि पर कब्जा होना स्वीकार किया है। वादग्रस्त भूमि की किस्म बिलानाम् है। बिलानाम भूमि पर किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित बेदखली का आदेश विधिसम्मत है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया बेदखली आदेश न्यायोचित है। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि के नियमन योग्य होने बाबत कोई ठोस साक्ष्य सबुत पेश नहीं किये है और न ही ऐसा कोई प्रावधान बताया है। जिससे वादग्रस्त भूमि नियमन योग्य हो। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से खारिज किया जाना उचित है।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कुम्भलगढ के द्वारा दिनांक 15.01.2019 को पारित आदेश यथावत रखा जाता है। तहसीलदार, कुम्भलगढ को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि से अपीलांट का कब्जा हटाकर पालना रिपोर्ट भिजवायी जावें।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति तहसीलदार, कुम्भलगढ को लौटायी जावे।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 16.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(नीलाभ सक्सेना)-
जिला कलक्टर
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)